

पत्र संख्या : ८ब/४७०१ यो०ज०सं०-०२/१२ - पाट-१ २५५

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : २३-३-१३

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-७४-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष २०११-१२ में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-२ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९-जल संसाधन विभाग/ ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०-सामान्य	७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/७४-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष २०११-१२ में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	०५-निर्माण, ४५-मुख्य निर्माण कार्य, ४९P470180796740545	०.९५३८९

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ पंचानबे हजार तीन सौ नवासी मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध ₹ १५००.०० लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-२, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

245

रॉची, दिनांक :- 23-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकू.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/देवघर/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

245

रॉची, दिनांक :- 23-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सारियकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्

ML

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

Ch

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

AKS

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

PN

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

LN

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक..... 245.....

दिनांक 23-3-13

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
 उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,
 शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49P470180796740545
 वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपलब्ध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	प्रमङ्गल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2012 तक का ब्याय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अस्थूमिता
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई प्रमङ्गल, बरहरवा	देवधर	गुमानी बराज	16258.7	36 / 22.03.07	15726	160.38000	0.95389	161.33389	अतिरिक्त आवंटित राशि परिशिष्ट 2 में वर्णित कारणों हेतु।
			योग	160.38000		0.95389			161.33389	

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ पंचानवे हजार तीन सौ नवासी मात्र।

M.C.J
 (सुरेश प्रसाद भगत)
 सहायक अभियंता

G.C
 (जयप्रकाश भट्टाचार्य)
 उप सचिव (अभि.)

S.K.S
 (सुबोध कुमार सिन्हा)
 संयुक्त सचिव (अभि.)

M.S
 (दी. सी. निराम)
 विशेष सचिव

M.S
 (एस० कै० शतपथी)
 प्रधान सचिव

विपत्र कोड- 49P470180796740545

(लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण		एकरणाला सं०	पूर्व का आवंटन	अंतिरिक्ष आवंटन	कुल आवंटित राशि	अनुक्रित	
			2	3						
1					1	Construction of Superpassage at ch 542 of GMC	6F2/2011-12	7.35000	0.00000	7.35000
			2	Residual Earth work from Ch.606.50 to 618.00 of BBC	16F2/2010-11	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
			3	R/E/w at ch. 618.00 to 708.00 of BBC	5F2/2011-12	20.35000	0.00000	20.35000		
			4	Construction of SLR bridge at ch 599 of GMC 14F2/2010-11	14F2/2010-11	5.30000	0.00000	5.30000		
			5	Construction of Guard wall at ch 450 of BBC 4F2/2011-12	4F2/2011-12	0.00000	0.00000	0.00000		
			6	Residual work of SLR bridge at ch 399.20 of GMC	3F2/10-11	0.78000	0.00000	0.78000		
			7	"A" Preliminary		1.00000	0.00000	1.00000		
			8	Residual Earth work from Ch.0.00 to 60.50 of BBC		0.00000	0.00000	0.00000		
			9	Construction of DLR Bridge at ch. 554.00 & 606.00 B.B.C		0.00000	0.00000	0.00000		
			10	Residual & damage repair of CD at ch 438.0, 463.5, 469, 482, 496, 529, 585, 603 of GMC & 2, 69, 78, 90, 94, 85, 412, 454, 467.5, 473, 486, 524 & 597 of BBC.		0.00000	0.00000	0.00000		
1	सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा	गुमानी बराज योजना	11	R/m of 3 Nos I/V		1.60000	0.00000	1.60000		
			12	Seasonal labour during Commissioning & operation of canal		0.00000	0.00000	0.00000		
			13	Restotation of Godown and Office Building At Barharwa		0.50000	0.00000	0.50000		
			14	Purchase of Generator		1.50000	0.00000	1.50000		
			15	Construction SLR Bridge at ch 233 of BBC		17.00000	0.00000	17.00000		
			16	Construction SLR Bridge at ch 585 of GMC		26.00000	0.00000	26.00000		
			17	Residual work of SLR bridge at ch 490.50 of GMC		2.00000	0.00000	2.00000		
			18	Construction of CD at Ch 77 of BBC		15.00000	0.00000	15.00000		
			19	Earth work of Bishanpur disty		62.00000	0.00000	62.00000		
			20	W.P. (S) No-2896/2012 मुरली मनोहर सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-18.05.12 को माननीय उच्च न्यायालय रैंची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में।		0.00000	0.95389	0.95389		
						योग्य	160,38000	6,95389	161,33389	

अतिरिक्त आविट राशि - ₹ पंचानवे हजार तीन सौ नवासी मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अधिकारी(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अधिक०)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अधिक०)(बी. सी. निशाम)
विशेष सचिव(एस० के० शताधी)
प्रधान सचिव